**भाग-III**

**हरियाणा सरकार**

आबकारी तथा कराधान विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 30 अप्रैल, 2013

**संख्या का0 आ0 46/ह0अ0 6/2003/धा0 60/2013.**— हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उपधारा (3) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 2/ह0अ0 6/2003/धा0 60/2013, दिनांक 11 अप्रैल, 2013 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**संशोधन**

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 42 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**42. वापसी का अनुमोदन.**—निम्नलिखित प्राधिकारी एकल आदेश से उत्पन्न प्रत्येक के सामने वर्णित राशि की वापसी का अनुमोदन करने के लिए सक्षम होंगे :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मुख्यालय में तैनात विभाग की ओर से तीन वरिष्ठतम् अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से मिलकर बनी समिति तथा सदस्य सचिव के रुप में संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (कर)। इन अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में से वरिष्ठतम् अध्यक्ष होगा। | पच्चीस लाख रुपये से अधिक |
| 2. | रेंज का भारसाधक अधिकारी | पच्चीस लाख रुपये तक |
| 3. | जिले का भारसाधक अधिकारी | दस लाख रुपये तक |
| 4. | आबकारी तथा कराधान अधिकारी या सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी | एक लाख रुपये तक |

निम्नतर प्राधिकारी/प्राधिकारियों व्ययगत ब्याज के बिना वापसी जारी करने के लिए विहित समय से पूर्व कम से कम तीस दिन में सक्षम प्राधिकारी को अपना/अपनी सिफारिश (सिफारिशों) सहित समुचित स्तर पर मामले का अभिलेख प्रस्तुत करेगा/करेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी उचित समय पर निम्नतर प्राधिकारी/प्राधिकारियों को अपना निर्णय सूचित करेगा। वह लिखित में आदेश द्वारा वापसी की राशि को बढ़ा या घटा सकता है या आदेश कर सकता है कि कोई वापसी देय नहीं है किन्तु कोई प्रतिकूल आदेश प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगा।

पच्चीस लाख रुपये से ज्यादा वापसी के अनुमोदन के प्रयोजन हेतु गठित समिति क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे गए वापसी के मामलों का निर्णय करने हेतु सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।"।

राजन गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।